


18⁶/₂₅

पत्रावली पेश । पार्थी व वकील पार्थी
को बार-बार आवाज लगाई गई ।
बार-बार आवाज लगाने के पश्चात
भी पार्थी व वकील पार्थी न्यायालय
में हाजिर नहीं आये । अतः पार्थी
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
RTA अधिनियम द्वारा अधिनियम पेश की
खारीफ किया जाता है । पत्रावली
फैसल नुमांर होकर नम्बर, से
कम होकर दायित्व दफ्तर हो ।


उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)